न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 59 सन् 2021

पंजीयन दिनांक 10.08.2021

1. उदयलाल पिता किशोर जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. मांगीलाल पिता किशोर जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. तुलसीबाई पुत्री किशोर जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. प्रतापी पुत्री किशोर जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. कालु पिता हीरा जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. उदी पुत्री हीरा जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. शंकर पिता छोगा जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. पारस पुत्री छोगा जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
9. देऊ पत्नि छोगा जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
10. शंकर पिता हजारी जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
11. मथरालाल पिता हजारी जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

--अपीलांटगण

विरूद्व

1. गमेरी पुत्री किशोर जाति जाट निवासी केरिंग खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 211/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2021

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. शिवनारायण जाट–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2

निर्णय दिनांक 17.06.2022

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सेगवा पटवार हल्का पोट्ला कंला तहसील भदेसर की खाता सं. 9 मे दर्ज आराजी नम्बर 635,643,743,745,760,761,762,763,764,777 कुल किता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

10 रकबा 5.09 हैक्टेयर मौजा सेगवा तहसील भदेसर की खाता सं. 10 मे दर्ज आराजी नम्बर 634, 637, 739,740,741,742, 744 कुल किता 7 कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर मौजा सेगवा की खाता सं. 11 मे दर्ज आराजी नम्बर 738 रकबा 0.07 हैक्टेयर मौजा चरलिया तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 612,613,614 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के पिता की थी जो सन् 1979 मे वादिया के पिता का स्वर्गवास हो जाने से ग्राम पंचायत व राजस्व अधिकारियो ने उक्त भूमि अपीलान्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 1 व 2 व भगवान लाल के नाम नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के पिता का 1/2 हक व हिस्सा परिशिष्ट 7 मे वर्णित 1/2 हक व हिस्सा व परिशिष्ट (स) मे वर्णित कृषि आराजीयात मे 1/4 हक व हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया किशोर की पुत्री है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का 1/5 हक व हिस्सा निहित है। उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया विवादित कृषि आराजीयात मे अपने हक व हिस्से पर काबिज है, परन्तु उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं.1 व 2 अपीलान्टगण के नाम दर्ज रेकार्ड होने से रेस्पोडेन्ट सं.1 वादिया का उक्त आराजीयात मे घोषणा कराये जाने की अधिकारिणी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया। यह निवेदन किया कि किशोर का स्वर्गवास सन् 1979 मे हो चुका है। किशोर की विरासत का नामान्तकरण सं. 260 दिनांक 11.02.1980 को अपीलान्ट सं. 1 व 2 व स्वर्गीय भगवानलाल के नाम स्वीकृत होकर सन् 1980 से अपीलान्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने वादपत्र प्रस्तुत किया है। अपने जवाबदावे मे यह भी तथ्य अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व नामान्तकरण सं. 260 दिनांक 11.02.1980 स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपील क्रमांक 4/2017 न्यायालय आप मे बअनवान गमेरी बाई बनाम उदयलाल प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने दिनांक 13.11.2017 को कार्यवाही नही चाहने से नोट प्रेस मे निरस्त करवा ली है जिससे नामान्तकरण सं. 260 जो अपीलान्ट सं. 1 व 2 मृतक भगवानलाल के नाम स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया सहमत रही है जिससे रेस्पोडेन्ट सं.1 वादिया को पुनः नया वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही रहता है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से रेसज्युडिकेटा व बिना वाद कारण के वादपत्र होने से वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया व प्रतिवादीगण अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर दिनांक 15.07.2019 को तनकियात विरचित की व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिया मे नियत की गई। दिनांक 07.09. 2020 को अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया। जिस पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से दो तरफा का आवेदन प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होने पर दो तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर साक्ष्य प्रतिवादीगण ली गई व साक्ष्य प्रतिवादरीगण बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 15.07.2021 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की बहस सुनी जाकर पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र 1/5 हक व हिस्से के अनुसार डिक्री किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से घोषणा,बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व जवाब दावे मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए वादपत्र म्याद बाहर होना व स्वर्गीय किशोर की विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपील क्रमांक 4/2017 प्रस्तुत की जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने कार्यवाही नही चाहने से दिनांक 13.11.2017 को निरस्त करवा ली थी। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र रेसज्युडिकेटा का प्रभाव रखने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र चलने योग्य नही था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के वादपत्र को प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। रेस्पोडेन्ट वादिया ने इस न्यायालय मे आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो इस न्यायालय के द्वारा उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर दिनांक 25.04.2022 को उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लिवाये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट वादिया स्वंय अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत दस्तावेज से अपना वादपत्र साबित होना नही मानती है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे दावा जवाबदावा के अनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने 7 तनकियात कायम की है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी के तहत तनकीवार निर्णय पारित नही करते हुए उक्त तनकियो पर विश्लेषण किये बगैर रेस्पोडेन्ट वादिया का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए वादपत्र डिक्री किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने पैतृक कृषि आराजीयात जो अपने पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी, जिसमे अपने हक व हिस्से की थी मे घोषणा, बंट्वाडा स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है। दावे जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम की। उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली गई। तत्पश्चात् पत्रावली मे बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र डिक्री किया जाकर स्वर्गीय किशोर की विरासत मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का 1/5 हक व

हिस्सा निहित किया है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुसार होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 2 राजकीय अभिभाषक ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिनुसार बताते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई जो विधिनुसार है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा सेगवा पटवार हल्का पोटला कंला तहसील भदेसर की खाता सं. 9 मे दर्ज आराजी नम्बर 635, 643, 743, 745, 760, 761, 762,763,764,777 कुल किता 10 रकबा 5.09 हैक्टेयर मौजा सेगवा की खाता सं. 10 मे दर्ज आराजी नम्बर 634,637,739,740,741,742, 744 कुल किता 7 कुल रकबा 2.11 हेक्टेयर मौजा सेगवा की खाता सं. 11 मे दर्ज आराजी नम्बर 738 रकबा 0.07 हैक्टेयर मौजा चरलिया तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 612,613,614 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व वादपत्र को रेसज्युडिकेटा व म्याद बाहर व बिना कब्जे का होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावे जवाबदावे के आधार पर 7 तनकियात विरचित की गई जिसमे तनकी सं. 1 से 5 रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के जिम्मे की गई। तनकी सं. 6 अनुतोष रही है। तनकी सं. 7 प्रतिवादीगण अपीलान्टगण के जिम्मे नियत की गई। उक्त तनकियात पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नही करते हुए व वक्त बहस मौखिक रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के द्वारा बंटवाडा नही चाहना मानते हुए बंटवाडे का अनुतोष निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के पक्ष मे विवादित कृषि आराजीयात मे 1/5 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने घोषणा के साथ बंटवाडे की दाद भी चाही गई। बंटवाडे की दाद का विड्रो करने का कोई आवेदन रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत नही हुआ था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय ने निर्णय मे यह मानते हुए कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया बंटवाडे की दाद नही चाहने से बंटवाडे की दाद खारीज की जाती है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने वादपत्र मे बंटवाडे की दाद चाही है। उसके पश्चात् वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए व बहस के वक्त भी ऐसा कोई लिखित आवेदन पत्रावली मे प्रस्तुत नही हुआ जिससे यह माना जा सके कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया बंटवाडे की दाद नही चाहती हो। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के बंटवाडे की दाद नही चाहना मानते हुए बंटवाडे का वादपत्र निरस्त किया है। अपील के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के आवेदन के साथ राजस्व रेकार्ड की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। जिसको इस न्यायालय के द्वारा उक्त दस्तावेज दिनांक 25.04.2022 को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त दस्तावेजो का परीक्षण किया जाना भी अपेक्षित है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए उभय पक्षकारान के अभिवचनो के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा पत्रावली मे दिनांक 15.07.2019 को आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना मे तनकियात विरचित की गई। ऐसी स्थिति मे आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी के तहत पत्रावली मे तनकियात विरचित होने पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना विधिनुसार अपेक्षित है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना किये बगैर निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2021 विधिनुरूप होने से अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 211/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2021 निरस्त की जाकर राजस्व रेकार्ड की वादपत्र प्रस्तुति की स्थिति दर्ज की जाकर प्रकरण इस न्यायालय मे आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपील के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज पर उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर पत्रावली मे विरचित तनकियात दिनांक 15.07.2019 के अनुसार आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजरसे तनकीवार नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील अधिकारी

चित्तौडगढ